



E-mail: jalnigam.mussoorie@yahoo.com

ई-मेल : ~~jalnigam.mussoorie@yahoo.com~~

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण शाखा

फोन : 0135-2736032

फैक्स : 0135-2733132

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी (देहरादून)
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
कुटुम्ब विहार, ग्रा0 व पो0 सिनीला, देहरादून - 248003

पत्रांक

704 / 133 / 35

दिनांक 30.03.2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग,
मसूरी।

विषय :

जनपद देहरादून मसूरी नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत मसूरी सीवरेज योजना सीवरेज टैंक के अन्तर्गत आर्केडिया जोन में ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु 0.02 है0 वन भूमि के सम्बन्ध में। (FP/UK/Others/27134/2017)

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक 8बी0/यू.सी.पी./09/148/2018/एफ.सी./2477, दिनांक 22.03.2019 के क्रम में उक्त प्रस्ताव में पूर्व में लगायी गयी आपत्तियों के निराकरण की मूल प्रतियाँ मांगी गयी हैं। जबकि इस कार्यालय के पत्रांक 114/133/09, दिनांक 17.01.2019 के द्वारा आपके कार्यालय में दिनांक 28.01.2019 को निराकरण के दस्तावेजों की चार प्रतियाँ मूल में जमा की जा चुकी है, जिसकी प्राप्ति संलग्न है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सुभाष चन्द)

अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0

/ 133 /

तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।

अधिशासी अभियन्ता

Van bhomi

"जल संघर्ष-जीवन संघर्ष" "कृपया जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाइये।"
वैधानिक चेतावनी - जल स्रोतों को प्रदूषित करना दण्डनीय अपराध है।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण शाखा

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी (देहरादून)
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

कुटुम्ब विहार, ग्रा0 व पो0 सिनौला, देहरादून - 248003

E-mail: eecd.ujhmussoorie@yahoo.com

ई-मेल : eecd.ujhmussoorie@gmail.com

फोन : 0135-2738032

फैक्स : 0135-2733132

पत्रांक

114 / 133 / 09

दिनांक 17.01.2019

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग,
मसूरी।

विषय

जनपद देहरादून मसूरी नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत मसूरी सीवरेज योजना सीवरेज टैंक के अन्तर्गत आर्केडिया जोन में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु 0.02 है0 वन भूमि के सम्बन्ध में।
(FP/UK/Other/27134/2017)

महोदय,

भारत सरकार के पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/09/148/2018/एफ0सी0/2057, दिनांक 02.01.2018 के द्वारा आर्केडिया जोन में प्रस्तावित एस0टी0पी0 के वन भूमि प्रस्तावों में लगाई गई आपत्तियों का विन्दुवार निराकरण निम्नानुसार है।

क्रमांक	आपत्ति	निराकरण
1	Incomplete CA Scheme is found uploaded.	वांछित भूमि 1.00 है0 से कम है, अतः CA Scheme का प्राविधान नहीं किया गया है। उक्त हेतु प्रस्तावित स्थल के आस-पास 100 वृक्षों का वृक्षारोपण प्रस्तावित है जिसका प्रावधान online addition information के क्रमांक 44 पर uploaded है। (घार प्रतिपां संलग्न है)।
2	Authority letter is not submitted in hard copy.	Authority letter में Hard copy की धार प्रति संलग्न है।
3	Muck dumping scheme certificate is not c/s by DFO.	Muck dumping scheme certificate पर आपके हस्ताक्षर वांछनीय हैं। (घार प्रतिपां संलग्न है)।
4	Part V is not received in hard copy.	Part V में Hard copy की धार प्रति संलग्न है।
5	The legal status of the area is "Notified private forest land" of Mussoorie where several activities are prohibited.	उक्त का प्रमाण-पत्र (घार प्रति) संलग्न है। आपके हस्ताक्षर किये जाने हैं।
6	Original hard copy of tree enumeration list is required.	वृक्षों की गणना की सूची संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में अंकित है। (घार प्रति संलग्न है)।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

पूरा0

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोटल अधिकारी, हिन्दिश नगर पंचिका, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।

तददिनांक।

Van khemi

अधिशासी अभियन्ता

"जल संचय-जीवन संचय" "कृपया जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाइये।"
वैध्यात्मिक चेतावनी - जल स्रोतों को प्रदूषित करना दण्डनीय अपराध है।